UPBN040276432022

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ

प्रकीर्ण वाद संख्याः— 1375 / 2022

लडैती **बनाम** उरवसी आदि

अन्तर्गत धाराः—156(3) दं0प्र0सं0

सम्बन्धित थानाः—सिविल लाईन जिलाः—बदायूँ

27.08.2024

01 पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है। प्रार्थी लडैती के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

02 आवेदिका लडैती द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण उरवती आदि के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के तहत संबंधित थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश पारित किये जावे।

03 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में आवेदिका द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी असहाय और अति वृद्व है और आंखों से भी दिखाई नहीं देता है और कानों से भी कम सुनाई देता है। उपरोक्त मुल्जिमान ने दिनांक 25.07.2022 को एक राय होकर प्रार्थिनी को विधवा पेंशन दिलवाने व किसान निधि से पैसे दिलाने के बहाने से बदायूँ लाकर प्रार्थिनी का 0.143 हे0 रकवा प्रार्थिनी की खसरा व गाटा सं0 920 से व प्रार्थिनी के वगैर जानकारी के धोखाधड़ी व जालसाजी प्रवंचना से कूट रचित कर विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया और प्रार्थिनी को इसकी जानकारी नहीं होने दी। जब प्रार्थिनी के भतीजे महेशपाल व महावीर बगैरा को मुल्जिमान के इस वेजा कृत्य किये जाने का ज्ञान हुआ तो उन्होंने मुल्जिमान से इस धोखाधड़ी की वजह पूंछी तो उपरोक्त लोगों ने कहा कि सालो हम तो ऐसा ही करते है तुमको जान से मार देंगे और गांव से भगा देंगे और प्रार्थिनी के घर पर चढ़ आये तथा बोले कि बुढ़िया हमने तुझसे बैनामा तो करा ही लिया है। कार्यवाही की तो तुझे भी जान से मार देंगे। शोर गुल पर मौके पर मौजूद महेशपाल व महावीर बगैरा ने बचा लिया। थाने रिपोर्ट लिखाने गये नहीं लिखी। एस.एस.पी. को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

04 प्रार्थना पत्र के संबंध में स्थानीय थाने से आख्या आहुत की गयी। स्थानीय थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र वर्णित कथनों के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

05 प्रार्थिनी को प्रस्तुत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी है जिसे वह साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा **अलीक पदमसी बनाम भारत संघ (2007)6 एस0सी0सी0 पेज 171 तथा सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(1) ए सी आर 170** में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित सिद्वान्तों के अनुक्रम में प्रार्थिनी का प्रार्थना—पत्र परिवाद में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक लडैती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0, परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी गवाहान की सूची प्रस्तुत करें और अन्दर सप्ताह पैरवी करें। पत्रावली वास्ते बयान धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 25.09.08.2024 को पेश हो।

प्रस्तुत परिवाद विधिवत् निस्तारण हेतु न्यायालय सप्तम अपर सिविल जज जू0डि0 / जे0एम0 बदायूँ को स्थानान्तरित किया जाता है।

मौहम्मद तौसीफ रजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बदायूँ

Digitally signed by MOHAMMAD TAUSEEF RAZA
Date: 2024.08.27 19:16:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court